न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 98/2007/223 आर टी ए

1. सरीफ खां पि0मु0 सुमेरखां जाति मुसलमान जोईयां वार्ड सं. 9 कस्बा नोहर।

—— अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

——रेस्पो0

2. समां पत्नि सतार जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 18 नोहर।
3. अनारा पत्नि युसुफ पुत्री सतार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर।
4. हलीमा पुत्री सतार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. आमीना पुत्री सतार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. अजमल पुत्र सतार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. कुरेशा पुत्री सतार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. उल्फत पिसरान सतार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. नानू खां पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान निवासी कस्बा जोगीआसन नोहर।
10. रफीक पुत्र गुलजार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. श्योकत पुत्र गुलजार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. अनवर पुत्र गुलजार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. अनवर पुत्र गुलजार जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. मनीर खां पुत्र दिलावर जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर।
15. बले खां पुत्र दिलावर जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर।
16. बशीर खां पुत्र दिलावर जाति मुसलमान वार्ड नं. 18 नोहर।
17. दिलावर पुत्र कालू खां जाति मुसलमान जोईया निवासी नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. भंवरखां पुत्र कालू खां जाति मुसलमान जोईया निवासी नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. इकबाल खां पुत्र कालू खां जाति मुसलमान जोईया निवासी नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. नवाब खां पुत्र कालू खां जाति मुसलमान जोईया निवासी नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. साबीर खां पुत्र कालू खां जाति मुसलमान जोईया निवासी नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. शान मोहम्मद पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान वार्ड नं. 2 कस्बा नोहर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23. बगअली पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान वार्ड नं. 1 कस्बा नोहर।

24. जब्बार खां पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान वार्ड नं. 3 नोहर।

25. जैतून पत्नि सफी मोहम्मद जाति मुसलमान जोईया वार्ड नं. 7 कस्बा नोहर।

—— तरतीबी रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्रकरण संख्या 60/2006 अनवानी सरीफ बनाम स्टेट आदि

उपस्थित :—

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः—25.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत पारित की गई है। वादी अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व वाद वादी भलीभांति साबित किया था तथा वाद की प्लीडिग्स वाद मे दस्तावेज साक्ष्य मे प्रदर्श पी—1 नकल जमाबंदी सम्वत 2058 व नकल जमाबंदी सम्वत 2009 से 2012 पेश किये तथा बतौर मौखिक साक्ष्य मे वादी सरीफ खां के ब्यान करवाये गये जिनसे साबित था कि वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर वादी एवं तरतीबी रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार अर्जित हो गये इसलिये वादी वाद भूमि पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी था। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय इस आशय की कोई रिपोर्ट नही मंगवाई कि उक्त रकबा नगरपालिका सीमा मे है उपलब्ध नही थी तथा ना ही उक्त रकबा नगरपालिका सीमा मे आती है तथा नगरपालिका का कोई विरोध पत्रावली पर दर्ज नही था फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा कानून विरूद्ध विवेचन करते हुए अपीलाधीन

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने यह विवेचन किया कि उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि होने के कारण खातेदारी नही दी सकती कतई गलत एवं कानून विरूद्ध विवेचना की है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आरआरसी 2001 पेज 125 राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर प्रस्तुत की थी जिसमे कॉलोनी ऐरिया मे गैरखातेदारी को खातेदारी मे बदलने हेतु वाद लाया जा सकता है तथा खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है, पेश की थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर वाद वादी अपीलांट स्वीकार कर बहक वादी डिक्री किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि है। उपनिवेशन क्षेत्र मे उपनिवेशन नियमों के तहत धारा 15एएए आरटीए पर रोक होने से अपीलांट विवादित भूमि के खातेदारी पाने के अधिकारी नही है। विवादित रकबा कस्बा नोहर की आबादी क्षेत्र से चिपता हुआ नगरपालिका सीमा मे स्थिति होकर उपनिवेशन क्षेत्र होने से भी खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के तहत जरिये उक्त वाद वादी किसी प्रकार की घोषणा नही करवाने का अधिकारी मानते हुए वाद वादी खारिज किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि प्री–55 की होने का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई थी जबकि वादग्रस्त भूमि जिसे प्री–55 की होने का कथन किया गया है, जिसमे धारा 15एएए आरटीए के तहत खातेदारी दिये जाने के प्रावधान किये गये है परन्तु अपीलांट द्वारा प्री–55 की भूमि के लिये धारा 88 आरटीए के तहत घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह विवेचन करते हुए खारिज किया गया कि '' वादग्रस्त भूमि वादी की गैरखातेदारी भूमि की दर्ज कागजात है तथा इसके अलावा भूमि उपनिवेशन क्षेत्र की है। इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15एएए के तहत जरिये उक्त वाद वादी किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपनिवेशन क्षेत्र की है तथा नगरपालिका सीमा व पैराफैरी सीमा मे है तथा अधिसूचना दिनांक 18.10.2004 के अनुसार पैराफैरी क्षेत्र मे स्थिति भूमि का आवंटन नियमन या खातेदारी दिये जाने पर रोक है।'' इस प्रकार प्री–55 की भूमि के संबंध मे धारा 88 आरटीए के तहत खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही की जा सकती है तथा प्री–55 के लिये धारा 15एएए आरटीए के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गये है तथा अपीलांट चाहे तो धारा 15एएए आरटीए के तहत कार्यवाही कर सकते है एवं इसके लिये अपीलांट स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2007 को यथावत रखा जाता है। अपीलांट धारा 15एएए आरटीए के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official